प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कासगंज।

सेवा में,

जिला विज्ञान एंव सूचना अधिकारी,
कासगंज।

पत्रांक : एस.एस.ए./ 1168-69 /2017–18, दिनांक : 25 अप्रैल, 2017

विषय : जनपद के क0गां0आ0बा0वि0 में खाद्यान्न/दैनिक उपयोगी वस्तुऐं एवं स्टेशनरी निविदा की शर्तो को एन0आई0सी0 कासगंज की बेवसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपद में संचालित 08 क0गां0आ0बा0वि0 में अध्ययनरत छात्राओं के लिये खाद्यान्न/दैनिक उपयोगी वस्तुऐं एवं स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु निविदा आमान्त्रित की गयी है। निविदा की शर्तो को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु समाचार पत्रों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निविदा के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एन0आई0सी0 की बेवसाइट पर भी निविदा की शर्तो को अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्

25.4.17

(गीता वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज

पृ0सं0: एस.एस.ए./ /2017–18 दिनांक वही।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, कासगंज की सेवा में सादर सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज।

टेण्डर की शर्तें वर्ष 2017–18

1. सामान की आपूर्ति समस्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय अनुसार संचालन स्थान पर करनी होगी। जिसका कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा।
2. अर्नेस्ट मनी की धनराशि को टेन्डर फार्म की तकनीकी विड के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।
3. वांछित धरोहर राशि का ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज के पक्ष में देय होगा जो कि क्रय आदेश प्राप्त करने के बाद जिला परियोजना कार्यालय में जमा कराना होगा। धरोहर राशि की धनराशि में अर्नेस्ट मनी सम्मलित होगी।
4. फर्म के पास निम्न प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जोकि तकनीकी विड में संलग्न करना अनिवार्य है।
    - फर्म के व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    - पैन कार्ड धारक होना अनिवार्य है।
    - खाद्यान्न आपूर्ति/स्टेशनरी हेतु वास्तविक फर्म (प्रतिष्ठान) होना अनिवार्य है।
    - तीन वर्ष का आयकर रिटर्न।
    - खाद्यान्न आपूर्ति हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
    - फर्म के पास सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
5. उपर्युक्त सभी प्रमाण पत्र तकनीकी लिफाफे में सीलबन्द कर प्रेषित करना होगा। तकनीकी लिफाफे में उक्त सभी बिन्दु वैध पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।
6. वित्तीय लिफाफे में मूल्य सूची (टेन्डर) सीलबन्द कर प्रेषित करना होगा।
7. वित्तीय लिफाफा एवं तकनीकी लिफाफा एक दूसरे बडे लिफाफे में सील कर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज में रखें ड्राप वॉक्स में दिनांक : 05.05.2017 अपरान्ह 02:00 बजे तक डाले जायेगे। इस निर्धारित समय अवधि के पश्चात निविदा स्वीकार्य न होगी।
8. आपूर्ति की गई सामग्री स्वीकृत मानक/गुणवत्ता खराब पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी और समस्त व्यय भार आपूर्तिकर्ता को वहन करना होगा।
9. वार्डन द्वारा दी गई मांग के आधार पर वांछित सामग्री निर्धारित अवधि में स्वीकृत दर तथा निर्धारित ब्रान्ड के अनुसार ही वर्णित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
10. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों पर नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी तथा भुगतान हेतु सुस्पष्ट /पठनीय बिल प्राप्त मांग पत्र के आधार पर दो प्रतियों में सामान आपूर्ति के समय विद्यालय में उपलब्ध कराना होगा तदोपरान्त आपूर्ति की गई सामग्री के प्राप्ति रसीद दी जायेगी।
11. निविदा की अवधि क्रयादेश जारी होने के उपरान्त 31 मार्च 2018 तक ही मान्य होगी।
12. समस्त आपूर्ति की गई सामग्री विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आपूर्ति सामग्री का परीक्षण करने के उपरान्त ही स्वीकार्य होगी तथा खाद्यान्न सामग्री संलग्न सूची के अनुसार ब्रडिड कम्पनी की ही होनी चाहिए।
13. खाद्यान्न सामग्री की एक्सपायरी का परीक्षण करने के उपरान्त ही आपूर्ति स्वीकार्य होगी।
14. गठित जनपदीय समिति को बिना कारण बताये उपरोक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. टेण्डर खोलते समय कोई भी प्रमाण–पत्र बाद मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
16. समस्त विवादों का न्यायायिक क्षेत्र कासगंज होगा।

(जी0एस0राजपूत) जिला समन्वयक(बा0शि0) एस0एस0ए0, कासगंज	Prasad (अयोध्या प्रसाद) सहा0वित्त एवं लेखाधिकारी, एस.एस.ए., कासगंज	(गीता वर्मा) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज।